

विस : नए भवन में अब तक 18 विधायकों कोई वास्तुदोष तो कोई अपशकुन बता रहे

उद्घाटन से अब तक इनका हुआ निधन

फरवरी 2002: अजमेर प. विधायक किशन मोटवानी।	दिसंबर 2006: डूंगरपुर विधायक नाथूराम आहारी।	का निधन, चुनाव स्थगित।	19 मई 2021: भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन
दिसंबर 2002: बानसूर विधायक जगत सिंह दायमा।	सितम्बर 2017: भाजपा विधायक कीर्ति कुमारी।	7 अक्टूबर 2020: कांग्रेस विधायक कैलाश चंद त्रिवेदी का निधन	9 अक्टूबर 2022: कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन
दिसंबर 2002: सागवाड़ा विधायक भीखाभाई।	21 फरवरी 2018: भाजपा विधायक कल्याण सिंह।	17 नवंबर 2020: कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल का निधन	15 नवंबर 2023: के चुनाव के बीच कांग्रेस विधायक गुरमीतसिंह कुन्नर का निधन, चुनाव स्थगित।
जनवरी 2005: लूणी विधायक मंत्री रामसिंह बिश्नोई।	19 अप्रैल 2018: मुंडावर विधायक व भाजपा नेता धर्मपाल चौधरी का निधन	30 नवंबर 2020: भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का निधन	9 अगस्त 2024: को भाजपा के सलूबर से विधायक अमृतलाल मीणा का निधन
मई 2006: डीग विधायक अरुण सिंह की मृत्यु।	29 नवंबर 2018: को चुनाव के बीच बसपा प्रत्याशी लक्ष्मणसिंह चौधरी	20 जनवरी 2021: कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन	

2001 में बिना उद्घाटन शुरू हुआ था सदन

राजस्थान विधानसभा के नए भवन का निर्माण 1994 में शुरू हुआ था। 25 फरवरी 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण को इस भवन का उद्घाटन करना था। लेकिन उद्घाटन समारोह से ठीक पहले बीमार पड़ने के कारण राष्ट्रपति नहीं आ सके। बिना उद्घाटन के राजस्थान का नया विधानसभा भवन शुरू हो गया। राजधानी जयपुर में लालकोठी के पास 16.96 एकड़ भूमि पर बना यह भवन देश के आधुनिक विधानसभा भवनों में शुमार है। यहां एक साथ 260 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। इसको जानकार अपशकुन बता रहे हैं। विधानसभा में इसको लेकर अब तक 9 विधायक बोल चुके हैं।

दो बार चुनाव के बीच प्रत्याशियों का निधन

2018 के विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। चुनाव से पहले अलवर जिले के रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह का 29 नवंबर 2018 को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इस वजह से यहां चुनाव स्थगित हो गया था। 2023 में भी 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। 15 नवंबर 2023 को श्रीकरणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीतसिंह कुन्नर का निधन हो गया। चुनाव स्थगित हुए और उप चुनाव हुआ। पूर्व में भी विधायकों ने उठाई थी मांग: पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय अप्रैल 2018 में

विधायक कल्याण सिंह के निधन के बाद विधानसभा परिसर में हवन यज्ञ करवाने की मांग की गई थी। तत्कालीन मुख्य सचिव कालू लाल गुर्जर और भाजपा विधायक हबीबुर्रहमान ने यह मांग उठाई थी। विधायकों का कहना था कि विधानसभा परिसर मोक्ष धाम से सटा हुआ है, या फिर मोक्ष धाम का भी कुछ हिस्सा विधानसभा परिसर में आता है। बीजेपी के पूर्व विधायक जानदेव आहूजा ने बरसों पहले इसे गंगाजल से धोने की मांग तक कर डाली थी। निर्माण के दौरान भी बताते हैं कि करीब आधा दर्जन मजदूरों की अलग-अलग कारणों से मौत हो गई थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी और मुंबई पुलिस को लगाई फटकार

मुंबई | बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पवई के जय भीम नगर में अवैध झोपड़े तोड़ने के मामले में मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और मुंबई पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने बीएमसी से पूछा कि वह किस आधार पर बारिश के समय में गरीबों के झोपड़े तोड़ने गईं। जबकि राज्य सरकार के जीआर के मुताबिक बारिश के समय में अवैध झोपड़ों को तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ के समक्ष पवई निवासी मीनाबाई गोविंद लिंगोले की ओर से वकील राकेश सिंह की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने बीएमसी से पूछा कि किस आदेश पर तोड़ने की कार्रवाई की? उसके हलफनामे में कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग ने 3 जून को बीएमसी को कानून के मुताबिक अवैध झोपड़े के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देश के

आधार पर कार्रवाई की गई। बीएमसी के जवाब पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आयोग ने कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिये कहा था, लेकिन आप (बीएमसी) अपने कानून का भी पालन करना भूल गए। अदालत ने पूछा कि मामले की जांच पवई पुलिस स्टेशन से साकीनाका पुलिस को क्यों ट्रांसफर की गई? केस की पुलिस डायरी कहां है? पीड़ित महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गई थी, तो उसकी शिकायत क्यों दर्ज नहीं की गई।

पुलिस ने डंडे बरसाए: बिल्डर के साथ मिल कर बीएमसी के अधिकारियों ने वहां पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जेसीपी, क्रेन और अन्य मशीनरी लेकर 6 जून को बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंच गए और उनके झोपड़े तोड़ने लगे। लोगों को अपने घरों से सामानों को भी निकालने नहीं दिया गया। यहां तक कि जब लोग अपने घरों से सामान निकालने गए, तो पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए।

Pt. L. R. College of Technology

Approved by AICTE & Affiliated to M.D University, Rohtak
Village-Kaboolpur, Sohna Samaypur Road, Faridabad 121004, Haryana
Email: plrct@gmail.com, website: www.plrct.com
Ph.9540028827, 9540028828

Application are invited for the following positions on regular basis:

Teaching Post for B.Tech, M.Tech, BBA, BCA:

Principal - 01

Professor - 01 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

Associate Prof. - 02 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

Assistant Prof. - 05 each (ME, CSE, EE, ECE & Civil)

BBA :-

Associate Prof. - 02, Assistant Prof - 04

BCA :-

Associate Prof. - 02, Assistant Prof - 04

Non-Teaching Post

Registrar, Administrator Officer, Accountant, Librarian, Assistant & Data Entry Operator, Training & Placement Officer, Drivers, Plumber & Welder

Wualifications, Pay Scales, Experience as per AICTE/UGC/STATE GOVT/MDU Rohtak norms.

Interested candidates may download the application form from the website of the college www.plrct.com or obtain from the office of the college on any working day & send application form to the Chairman of the institute duly completed along with visible copy of all testimonials (DMCs), Experience certificate etc. by Registered post, email or by hand within 21 days from the date of publication of advertisement. It is also mandatory to submit a copy of application form along with all testimonials to the DCDC, MD University, Rohtak.

Chairman

DATNRC BHASKAR 09/08/24